भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 4044**

(जिसका उत्तर 03 अप्रैल, 2018/13 चैत्र, 1940 (शक) को दिया जाना है)

**सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के औसत ऋण-जमा-अनुपात में अंतर**

4044. श्री परिमल नथवानीः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान वित्त वर्ष से दिसम्बर, 2017 तक की अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का औसत ऋण-जमा-अनुपात (सीडीआर) कितना रहा;

(ख) क्या देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के औसत सीडीआर में कोई अंतर है;

(ग) यदि हां, तो झारखंड और गुजरात समेत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऋण परिनियोजन में क्षेत्रीय असंतुलनों को न्यूनतम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)

**(क) से (ग):** भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिसम्बर 2017 की समाप्ति पर सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों का कुल सीडी अनुपात 69.56 रहा है। वर्ष 2017-18 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सीडी अनुपात का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार (झारखंड और गुजरात सहित) दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध** में है।

**(घ):** भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पीएसबी सहित सभी बैंकों को अखिल भारतीय आधार पर अपनी ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी शाखाओं के संबंध में अलग-अलग सीडीआर का 60% प्राप्त करने की सलाह दी है। बैंकों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वे ऋण प्रदान करने में क्षेत्रीय असंतुलन को न्यूनतम करने के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों के बीच अनुपातों में व्यापक असमानताओं से बचें।

 आरबीआई ने बैंकों को यह भी सलाह दी है कि सीडी अनुपात की विभिन्न स्तरों अर्थात बैंकों के प्रधान कार्यालय, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) और जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) पर निगरानी की जानी चाहिए। सीडी अनुपात की निगरानी करने और सीडी अनुपात में वृद्धि करने के लिए निगरानी योग्य कार्य योजना (एमएपी) तैयार करने के उद्देश्य से 40 से कम सीडी अनुपात वाले जिलों में डीसीसी की विशेष उप-समिति (एसएससी) स्थापित की जानी है। 20 से कम सीडी अनुपात वाले जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

\*\*\*\*\*

|  |
| --- |
| **अनुबंध** |
| **दिसम्बर 2017 की समाप्ति पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सीडी अनुपात**  |
| **क्रम सं.** | **राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र** | **सीडी अनुपात**  |
| 1 | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह  | **40.22** |
| 2 | आन्ध्र प्रदेश  | **106.71** |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश  | **29.85** |
| 4 | असम  | **37.16** |
| 5 | बिहार  | **27.37** |
| 6 | चण्डीगढ़  | **129.20** |
| 7 | छत्तीसगढ़  | **62.25** |
| 8 | दादरा एवं नगर हवेली  | **32.96** |
| 9 | दमन एवं दीव  | **22.71** |
| 10 | गोवा  | **24.18** |
| 11 | गुजरात  | **61.24** |
| 12 | हरियाणा  | **60.24** |
| 13 | हिमाचल प्रदेश  | **29.90** |
| 14 | जम्मू एवं कश्मीर  | **29.04** |
| 15 | झारखण्ड  | **25.01** |
| 16 | कर्नाटक  | **71.11** |
| 17 | केरल  | **61.21** |
| 18 | लक्षद्वीप  | **8.84** |
| 19 | मध्य प्रदेश  | **59.19** |
| 20 | महाराष्ट्र  | **109.84** |
| 21 | मणिपुर  | **53.00** |
| 22 | मेघालय  | **28.06** |
| 23 | मिजोरम  | **34.31** |
| 24 | नागालैण्ड  | **41.49** |
| 25 | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली  | **82.92** |
| 26 | ओडिशा  | **34.58** |
| 27 | पुद्दुचेरी  | **50.75** |
| 28 | पंजाब  | **57.64** |
| 29 | राजस्थान  | **63.24** |
| 30 | सिक्किम  | **31.24** |
| 31 | तमिलनाडु  | **105.73** |
| 32 | तेलंगाना  | **113.68** |
| 33 | त्रिपुरा  | **31.50** |
| 34 | उत्तर प्रदेश  | **37.23** |
| 35 | उत्तराखण्ड  | **31.57** |
| 36 | पश्चिम बंगाल  | **44.46** |
| 37 | **अखिल भारत**  | **69.56** |
| **स्रोत:** *वेबसाइट पर आरबीआई प्रकाशन*  |